न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 669/2026
CNR N0.UPBR01002667-2026

अनिल कुमार गंगवार पुत्र जमुना प्रसाद,

निवासी ग्राम कमुआ, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या 604/2025
धारा–80(2),85,115(2),103(1),352,351(3),3(5) बी0एन0एस0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना नवाबगंज, जिला बरेली।

07.03.2026

1. थाना नवाबगंज, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 604/2025, धारा–80(2),85,115(2),103(1),352,351(3),3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आवेदक/अभियुक्त **अनिल कुमार गंगवार** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है तथा लगाया गया आरोप असत्य व निराधार है। आवेदक द्वारा मृतका से कोई दहेज की मॉग नहीं की गयी और न ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और न ही दहेज की खातिर उसकी हत्या की गयी। आवेदक विवाह के पूर्व से ही अनीता से बेहद प्यार करता था और ससुराल वालों की सहमति से उसके साथ दहेज रहित प्रेम विवाह किया था। इसलिए दहेज की मॉग को लेकर हत्या करने का आरोप निराधार है। विवाह के बाद से ही आवेदक एवं मृतका हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे तथा मृतका अपने पति के साथ अलग मकान ओम सिटी नवाबगंज में रहती थी। घटना वाले दिन आवेदक घटनास्थल पर मौजूद नही था, वह अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर मजदूरी करने निकल गया था एवं उसकी गैर मौजूदगी में किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा उसकी पत्नी की हत्या कर दी गयी, घटना वाले दिन वह घर पर अकेली थी। आवेदक जब घर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी थी तो उसने मृतका की हत्या की सूचना स्वंय मृतका के भाई/वादी मुकदमा व अन्य रिश्तेदारों को दी। आवेदक के मोबाइल की लोकेशन घटना वाले दिन 4.00 किमी0 दूर होना आयी है। सहअभियुक्त सचिन कुमार की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दिनॉक 16.01.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक दिनॉक 01.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्व है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

3. वादी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया कि दिनॉक 28.10.2025 को समय लगभग पॉच–छः बजे वादी मुकदमा की बहन के पति अनिल कुमार की मॉ का फोन आया कि अनीता घर पर नही है, क्या आपके यहॉ तो नहीं आयी है तो वह घबरा गया और अपनी बहन की तलाश व जानकारी करने हेतु अनिल कुमार के घर अपने छोटे भाई पंकज के साथ गया तो घर में घुसने पर देखा कि उसकी बहन अनीता मृत अवस्था में घर में पड़ी है तथा उसके शव के पास हंसिया भी पड़ा है। वादी को विश्वास हो गया कि वादी की बहन अनीता की हत्या उसके पति अनिल कुमार, ससुर जमुना प्रसाद, सास भगवान देई, देवर

सचिन गंगवार व चचिया ससुर महेश कुमार ने की है। उसकी बहन अनीता के उपरोक्त ससुराल वाले उसी घर में एक साथ रहते हैं जिस घर में उसकी बहन की हत्या हुई है।

4. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि मृतका की मृत्यु दिनॉक 28.10.2025 को हुई थी, विवाह की अवधि एक वर्ष भी पूर्ण नहीं हुई थी। आवेदक द्वारा प्रेम विवाह का आलम्बन लिया गया है जबकि दोनो के विवाह को पूर्णतः दहेज रहित होना कहा गया है। आवेदक द्वारा घटनास्थल पर मौजूद न होने के सम्बन्ध में खनन हेतु जाने का आलम्बन लिया गया लेकिन उससे सम्बन्धित अनुमति–पत्र या अनुज्ञप्ति दाखिल नहीं की गयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. जवाबुल बहस में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि आवेदक का मृतका से प्रेम विवाह होने की साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित की गयी है। मौके से हंसिया बरामद होना कहा गया है लेकिन उसका कोई रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया है जिससे उसके प्रयोग किये जाने की संभावना उत्पन्न होती। आवेदक घटनास्थल पर था ही नही जिससे आवेदक द्वारा घटना कारित किया जाना सम्भाव्य नहीं है।

6. मैंने उभय पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुना तथा समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी ने अपनी बहन अनीता का विवाह अब से लगभग एक वर्ष पूर्व अनिल पुत्र जमुना प्रसाद के साथ किया था तथा लगभग चौदह लाख रूपये खर्च किये थे जिसमें दस लाख रूपये नकद व पॉच लाख रूपये सामान खाना पीना में खर्च किये थे। उसकी बहन वर्तमान में ओम सिटी निकट उपसब्जी मंडी स्थल के पास रह रही थी तथा दिये गये दान दहेज से उसकी बहन के पति अनिल कुमार, ससुर जमुना प्रसाद, सास, देवर सचिन, चचिया ससुर महेश कुमार संतुष्ट नहीं थे तथा उसकी बहन से एक वैगनार कार की मॉग करते थे। वादी की बहन ने वैगनार कार की मॉग के बारे में बताया था। कई बार वह तथा उसका छोटा पंकज अपनी बहन की ससुराल, ससुराल वालों को समझाने गये, कार की मॉग पूरी न होने पर उक्त लोग उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक यातनाये देते थे, मारपीट करते, गालियॉ देते एवं जान से मारने की धमकी देते थे। कई बार उसकी बहन को मारपीट कर कार की मॉग करते हुए घर से निकाला था तथा पंचायत होने व समझाने बुझाने पर उसकी बहन अपनी ससुराल चली जाती। दिनॉक 28.10.2025 को समय लगभग 5–6 बजे उसके बहनोई अनिल कुमार ने उसकी मॉ को फोन किया कि अनीता घर पर नहीं है, क्या उनके यहॉ तो नहीं आयी है जिस पर वह तथा उसका छोटा भाई पंकज अपनी बहिन के घर ओम सिटी पर पहॅुचे तो देखा कि उसकी बहन अपने घर के अंदर जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है तथा पास में हंसिया पड़ा हुआ है। उसकी बहन की हत्या उसके ससुराल के लोगों पति, सास, ससुर, देवर व चचिया ससुर ने दहेज की मॉग की खातिर कर दी है, लाश घर में पड़ी है।

8. दौरान विवेचना संकलित शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतका के गले में सामने की ओर ठुण्ड़ी से 5.00 सेमी नीचे और बॉये कान से 10.00 सेमी. नीचे तथा दाहिने कान से 7.00 सेमी नीचे गले में सामने की ओर 5.00 सेमी0 x 2.5 सेमी0 x हड्डी तक गहरा कटा हुआ घाव पाया गया। चिकित्सक की राय में मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व चोटों की वजह से रक्तस्राव व सदमा है।

9. सहअभियुक्तगण महेश कुमार, भगवान देई, जमुना प्रसाद एवं सचिन कुमार गंगवार की जमानत इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनॉक 13.11.2025, 18.12.2025, 07.01.2026 एवं दिनॉक 16.01.2026 को स्वीकार की जा चुकी है जिसमें यह तथ्य अभिकथित किया गया कि वह घटनास्थल से सोलह किमी दूर रहते हैं और उस तथ्य के संदर्भ में अभियोजन

की तरफ से कोई विशिष्ट तथ्य व आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। आवेदक द्वारा भी अपने जमानत प्रार्थनापत्र में स्पष्ट रूप से घटनास्थल से प्रथक रहने का कथन किया गया है ।

10- वर्तमान मामले में मृतका आवेदक की पत्नी है और उसकी मृत्यु आवेदक के घर में ही कारित होने का कथन किया गया है। चोटों के अनुसार मृतका का गला धारदार हथियार से काटा गया है और अभियोजन के अनुसार मौके से हॅसिया बरामद भी हुआ है और आवेदक द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होने के सम्बन्ध में अभिवाक लिया गया है लेकिन उसके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस स्तर पर उसकी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की अवधारणा की जा सके।

11. मामले के समस्त परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त मृतका की मृत्यु विवाह से सात वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में होना, दहेज की मॉग व प्रताड़ना के कथानक के साथ–साथ आवेदक का मृतका का पति होने, दौरान विवेचना साक्षीगण के बयानों के अन्तर्गत उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत तथा मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना यह न्यायालय इस मत की है कि आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नही है। तदनुसार प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अनिल कुमार गंगवार** का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड/विचारण पत्रावली में रखी जाये।

(प्रदीप कुमार सिंह–II)
आई.डी.यू.पी.1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

दिनांकः 07.03.2026

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.03.07 17:42:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court